न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2019

बलवंत सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, जाति नाई सिख, निवासी चक 8–वाई, पो0 ऑव मोहनपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीर सिंह –प्रार्थी
2. पैरोकार राज –अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :– **27.02.2020**

प्रार्थी बलवंत सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी चक 8–वाई, पो0ओ. मोहनुपरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। वादी का स्थायी पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14(क) के अनुसार वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है। वादी का वास्तविक व सही नाम बलवंत सिंह है व उसके पिता का नाम लाभ सिंह है। इस सम्बन्ध में वादी के दस्तावेजी साक्ष्य मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि की फोटोप्रतियां संलग्न वाद पत्र हैं। वादी चक 8 वाई, ग्राम पंचायत मोहनपुरा के क्षेत्राधिकार में निवास करता है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा (8 वाई) के वर्तमान सरपंच द्वारा भी वादी के सही व वास्तविक नाम के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिस पर वादी की फोटो भी चस[illegible]पंच, ग्राम पंचायत मोहनपुरा (8 वाई) द्वारा जारी उक्त असल प्रमाण पत्र स[illegible] वाद पत्र है। वादी की कृषि भूमि चक 10–वाई के खा[illegible]जात राज है। उक्त खाता में दर्ज भूमि वादी के कब्जा काश्त [illegible]ली आ रही है, मगर कर्मचारीगण माल की गलती अथवा अन्य त्रुटियों के कारण वादी का सही नाम उक्त खाता में दर्ज न होकर वादी का छोटा व उपनाम बंत सिंह उक्त खाता में दर्ज हो गया। वादी का सही व वास्तविक नाम बलवंत सिंह है। अतः वादी अपने सही व वास्तविक नाम से अपनी उक्त खाता की कृषि भूमि दर्ज करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:35 IST
Reason: SelfAttested

कर उक्त भूमि को अपने सही व वास्तविक नाम से खातेदारी घोषित करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। चक 10–वाई के खाता संख्या 48/40 में वादी अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः रकबा का विवरण खाता में त्रुटिवश वास्तविक व दर्ज उपनाम सही नाम बंत सिंह बलवंत सिंह खाता संख्या 48/40 मु0 नं0 31 (0.506), मु0 नं0 36 (0.822), कुल 1.328 हैक्टेयर इस प्रकार उक्त खाता की भूमि में वादी का सही व वास्तविक नाम दर्ज न होकर त्रुटिवश उपनाम दर्ज हो गया, जबकि वादी के पिता का नाम सही दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का उक्त उपनाम दर्ज होने के कारण वादी को अपनी कृषि भूमि सम्बन्धी ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार वादी को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने उपनाम के सम्बन्ध में बार–बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अतः दावा के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वादी अपने सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है ताकि वादी को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कार्य करने के दौरान मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वादी के उक्त खाता में उसका उपनाम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जबकि वादी का कब्जा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सही चला आ रहा है। अतः वादी अपने सही व वास्तविक नाम से अपनी उक्त कृषि भूमि को खातेदारी घोषित करवा कर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवा कर उक्त खाता में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है जो कि न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है ताकि वादी भविष्य में होने वाली कठिनाईयों से बच सकें। वादी ने प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया कि वाद पत्र की मद संख्या 5 में अंकित जिस आराजी में वादी के नाम की त्रुटिवश गलती हुई है तथा उसका उपनाम दर्ज हुआ है, उस रकबा को वादी के सही व वास्तविक नाम से दुरुस्त कर रिकॉर्ड में उसके नाम से खातेदारी दर्ज करें, मगर प्रतिवादी द्वारा टाल–मटोल करते हुए दिनांक 04.11.2019 को न केवल साफ इन्कार किया गया, बल्कि यह कहा गया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है व प्रतिवादी द्वारा वादी को इस हेतु सक्षम अदालत में दावा पेश करने का निर्देश दिया गया। अतः यही वाद कारण है एवं दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वाद पत्र वादी. बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री सादिर किया जावेः–

(क) यह कि डिक्री दुरुस्ती की इस अमर की सादिर की जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज वादी की कृषि भूमि उसके सही व वास्तविक नाम बलवंत सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:35 IST
Reason: SelfAttested

(ख) यह कि डिक्री घोषणा ... की जावे कि उक्तानुसार वादी का सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर उसके ... को उसके सही व वास्तविक नाम बलवंत सिंह के नाम से खातेदारी घोषित किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष, जो वादी के पक्ष में हो, वह भी प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)
...(राजस्व) ...नगर

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का मोहनपुरा की रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार चक 10 वाई के नामान्तकरण संख्या 140 मे लाभसिह पुत्र निकासिंह के फौत होने के उपरान्त वारिसान जसवन्तसिह बन्तसिंह पि० लाभसिंह, सरजीतकौर पुत्री लाभसिह कौम नाई के नाम दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थी का नाम बंतसिंह पुत्र लाभ के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 13.12.2019 अनुसार बलवन्तसिंह एवं बंतसिह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः शुद्वि की जानी उचित है। दावा की प्रति तथा पटवारी रिपोर्ट मय मौका फर्द सहित सादर प्रेषित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा, शिवपुर खाता संख्या 48/40 मुरब्बा नम्बर 31, 36 की प्रमाणित प्रति, प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र कमांक RJ/01/007/141591 की प्रति, प्रार्थी का आधार कार्ड कमांक 8895 8638 1260 की स्वयं प्रमाणित प्रति, प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड कमांक 200001813608 की स्वयं प्रमाणित प्रति, प्रार्थी के नाम बैंक पासबुक की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायचत मोहनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 10 वाई के खाता संख्या 48/40 मुरब्बा नम्बर 31(0.506), मुरब्बा नम्बर 36(0.822) कुल 1.328 हैक्टर में वादी के नाम बंतसिंह के स्थान पर दुरूस्ती कर बंतसिंह उर्फ बलवंत सिंह दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:35 IST
Reason: SubAttested

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर